न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद संख्या 17 / 2008

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 गोरधराम पुत्र दानाराम जाट निवासी जानियाना हाल मूंगडा तहसील पचपदरा		1. केसाराम वल्द सोनाराम मेगवाल निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 188 R.T.Act

निर्णय

उपस्थित : 1. श्री लाधूराम चौधरी वादी वकील　　　　दिनांक : 27.12.2017

वादी वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत खसरा नम्बर 249 / 1 (1172 / 249) रकबा 23 बीघा 10 विस्वा सरहद मौजा मूंगड़ा तहसील पचपदरा में स्थित है एवं प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 249 / 6 रकबा 40 बीघा वादी के पूर्व–दक्षिण दिशा में स्थित है वादी का अपना खेत खसरा नम्बर 249 / 1 (1172 / 249) रकबा 23 बीघा 10 विस्वा भूमि पर कदीमी कब्जा काश्त है जिसकी नेखमबंदी भी करवाई हुई है मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में पुनः तरमीम की गई फिर भी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.05.2007 को वादी की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण करने की नियत से खुद करने का असफल प्रयास किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा कई बार वादी की अनुपस्थिति में उक्त खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत में से अवैध पेड़ काटने की कार्यवाही की जाती है वादी की प्रार्थना है कि प्रतिवादी के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खेत खसरा नम्बर 249 / 1 (1172 / 249) रकबा 23 बीघा 10 विस्वा सरहद मौजा मूंगड़ा की खातेदारी एवं कब्जा सुद भूमि में प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में स्वयं या अपने प्रतिनिधि या अपने कर्मचारियों से किसी प्रकार का जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं करे एवं न करावें एवं वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें एवं न करावें एवं वादी की उक्त भूमि में से पेड़ इत्यादि काट कर नहीं ले जावे।

प्रतिवादी ने दिनांक 12.08.2008 को जबाब पेश कर जाहिर किया की वादी के पड़ौस में मुझ प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 249 / 6 रकबा 40 बीघा मौजा मूंगड़ा में स्थित है जिस पर कदीम से कब्जा काश्त मुझ प्रतिवादी का है व राजस्व रेकर्ड में तरमीम की हुई है जिसकी पास बुक मय नक्शा प्रतिवादी को आज से करीब 29 साल पहले दी हुई है प्रतिवादी को दी गयी पास बुक और उसमें संलग्न नक्शा अनुसार ही काबिज हूं वादी ने खसरा नम्बर 249 / 1 के 1172 / 249 बताया है जो मुझे स्वीकार नहीं है वादी ने जिस तरह ब्यान किया है व गलत व अस्वीकार है। हमने 1997 में अतिक्रमण न हीं सूड़ किया वादी ने बदनियत से मेरे खेत की भूमि पर कब्जा करने की नियत से गलत तौर से नेखमबंदी करवाने हेतु कार्यवाही की व गलत तौर पर झूठा वाद पेश वादी ने मुझ प्रतिवादी के विरुद्ध गलत तौर से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जो काबिल खारिज के है। वादी को मेरी भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है इसलिए वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वदी ने वाद पत्र के समर्थन में गवाह काछबाराम ,बाबूराम व स्वयं को पेश किया गवाह व वादी स्वयं ने वाद पत्र का समर्थन किया व जमाबन्दी मौजा मूंगड़ा खसरा नंबर 1172/249 रकबा 23 बीघा 10 विस्वा संवत 2061 से 2064 पेश की जो EX-1 है नक्शा किशतवार पेश किया जो EX-2 है।

प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु 23.2.2012 से लगातार साक्ष्य हेतु मौका दिया गया प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु मौका दिया गया प्रतिवादी ने साक्ष्य मे कोई गवाह पेश नहीं किये व जबाब के समर्थन में स्वयं के ब्यान भी नहीं जबाब दिये प्रतिवादी वकील ने दिनांक 14.12.2017 को पेरोकारी का कोई अनुदेश नहीं होने से पेरवी करना नहीं चाहते है प्रतिवादी स्वयं अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली के संलग्न की गई तथा बहस सुनी गई।

हमने प्रस्तुत दस्तावेजो के जबाब दावा व मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर ध्यान पूर्वक अध्यन किया गया।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है की वादी की खातेदार खेत खसरा नम्बर 249/1 (1172/249) रकबा 23 बीघा 10 विस्वा मौजा मूंगड़ा की कब्जा सुदा भूमि में वादी के कब्जा काश्त में स्वयं या अपने प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का अतिक्रमण व दखलन्दाजी नहीं करे एवं न करावें। न ही पेड़ काटे। वाद व्यय दोनो पक्ष अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 गोरधराम पुत्र दानाराम जाट निवासी जानियाना हाल मूंगड़ा तहसील पचपदरा		1. केसाराम वल्द सोनाराम मेगवाल निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 188 R.T.Act</u>

मुकदमा नंबर 17/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुददई लाधूराम चौधरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है की वादी की खातेदार खेत खसरा नम्बर 249/1 (1172/249) रकबा 23 बीघा 10 विस्वा मौजा मूंगड़ा की कब्जा सुदा भूमि में वादी के कब्जा काश्त में स्वयं या अपने प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का अतिक्रमण व दखलन्दाजी नहीं करे एवं न करावें। न ही पेड़ काटे। वाद व्यय दोनो पक्ष अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2017 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner